छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00199

श्री गोविन्द जैना विरूद्ध देव रेसीडेन्सी द्वारा तनु कन्सट्रक्शन, रायपुर

प्रोजेक्ट–देव रेसीडेन्सी, ग्राम–उरला, तह.–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
04/12/2018.	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में आवेदक अपने पुत्र के माध्यम से उपस्थित। – अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि श्री डेरेश्वर बंजारे के माध्यम से उपस्थित। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अनावेदक के ग्राम–उरला, तह.–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "देव रेसीडेन्सी" में भूखण्ड क्रय करने हेतु रूपये 11,90,000/– में सौदा कर, दिनाँक 04.01.2014 को इकरारनामा निष्पादित किया गया था। आवेदक का कथन है कि उसके द्वारा अनावेदक को अब तक कुल रूपये 5,70,000/– का भुगतान किया जा चुका है। आवेदक ने यह भी कथन किया है कि उक्त सौदे की शर्तों के अनुसार अनावेदक को 24 माह के भीतर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में समस्त सुविधाओं सहित निर्माण पूर्ण कर भूखण्ड का आबंटन करना था। किन्तु बार–बार निवेदन के बावजूद अनावेदक द्वारा न तो निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है और न ही भूखण्ड का कब्जा सौपा गया है। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूखण्ड हेतु अनावेदक को दी गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया है। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक को भुगतान की गई संपूर्ण राशि रूपये 5,70,000/– लौटाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। जिसे आवेदक ने भी प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया। – अनावेदक द्वारा दिनाँक 28.11.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उक्त संपूर्ण राशि आवेदक को निम्नानुसार पोस्ट डेटेड चेक्स के माध्यम से लौटाया गया। साथ ही इन चेक्स की छायाप्रति भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।	

छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00199

श्री गोविन्द जैना विरूद्ध देव रेसीडेन्सी द्वारा तनु कन्सट्रक्शन, रायपुर
प्रोजेक्ट–देव रेसीडेन्सी, ग्राम–उरला, तह.–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

चेक क्रमांक	दिनाँक	राशि
चेक क्रमांक–030144	25.12.2018	1,40,000/–
चेक क्रमांक–030143	25.01.2019	1,40,000/–
चेक क्रमांक–030142	25.02.2019	1,40,000/–
चेक क्रमांक–030141	25.03.2019	1,50,000/–
	कुल	**5,70,000/–**

– आवेदक ने भी उक्त सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त होने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष सहमति व्यक्त की है। आवेदक ने उभय पक्षों के मध्य निष्पादित इकरारनामा की मूल प्रति अंतिम चेक के भुगतान के पश्चात् अनावेदक को लौटाने तथा भविष्य में इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत न करने के संबंध में सहमति व्यक्त की है।

– प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में आवेदक को उसके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। यदि किन्हीं कारणों से अनावेदक द्वारा प्रदत्त चेक अनादरित होता है या चेक के समुचित भुगतान के बावजूद आवेदक द्वारा इकरारनामा की मूल प्रति अनावेदक को नहीं लौटाई जाती है, तो संबंधित पक्ष प्राधिकरण के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

– प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे।

(नरेन्द्र कुमार असवाल)
सदस्य
भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(राजीव कुमार टम्टा)
सदस्य
भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(विवेक ढाँड)
अध्यक्ष
भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर